

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के सर्वांगीन विकास के निमित्त महिलाओं को रोजगारोपरक शिक्षा एवं कुशल कामगार बनाने हेतु युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राज्य के प्रत्येक जिले में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। उक्त में से 30 वैसे संस्थान जहाँ छात्रावास भवन उपलब्ध नहीं है में प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करानी है, जिसके लिए किराये पर छात्रावास भवन प्राप्त किया जाना है। उक्त हेतु इच्छुक व्यक्तियों/ संस्थाओं से जिनके पास भवन उपलब्ध है, से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति/ संस्था वांछित सूचना एवं आवेदन प्रपत्र विभाग के बेवसाइट <https://state.bihar.gov.in/yesd/CitizenHome.html> से डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ आवेदन-पत्र स्पीड-पोस्ट/हाथो-हाथ दिनांक-30.09.2026 तक निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना, नियोजन भवन, चतुर्थ तल, ब्लॉक-बी0 (आयकर गोलम्बर के निकट), नेहरू पथ, पटना-800001 के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।



निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार पटना।

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के सर्वांगीन विकास के निमित्त महिलाओं को रोजगारोपरक शिक्षा एवं कुशल कामगार बनाने हेतु युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राज्य के प्रत्येक जिले में महिला औ0 प्र0 संस्थान का संचालन किया जा रहा है। उक्त में से 30 वैसे संस्थान जहाँ छात्रावास भवन उपलब्ध नहीं है में प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करानी है, जिसके लिए किराये पर छात्रावास भवन प्राप्त किया जाना है। उक्त हेतु इच्छुक व्यक्तियों/ संस्थाओं से जिनके पास भवन उपलब्ध है, से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

30 जिलो की सूची :- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अररिया/अरवल/औरंगाबाद/बाँका/बेगूसराय/भागलपुर/भोजपुर/बक्सर/दरभंगा/पूर्वी चम्पारण/गयाजी/गोपालगंज/
जहानाबाद/खगड़ियाँ/किशनगंज/मधेपुरा/मधुबनी/मुंगेर/मुजफ्फरपुर/नालंदा/नवादा/
रोहतास/सहरसा/सारण/शेखपुरा/ शिवहर/सीतामढ़ी/सिवान/वैशाली/पश्चिमी चम्पारण

छात्रावास भवन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु शर्त:-

1. भवन में कम-से-कम (10)दस कमरें (न्यूनतम साईज 10x10Sqft.) होना आवश्यक है।
2. भवन में बिजली एवं पानी की सुविधा उपलब्ध हों।
3. भवन कंक्रीट का निर्मित तथा फर्श में मार्बल/टाईल्स लगा होना आवश्यक है।
4. भवन में कम-से-कम (04)चार महिला शौचालय उपलब्ध होना आवश्यक है।
5. भवन से मुख्य सड़क तक का पहुँच पथ सुदृढ़ होना आवश्यक है।
6. सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भवन का एक पृथक मुख्य गेट होना आवश्यक है।
7. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण द्वारा निर्गत भवन-निर्माण से संबंधित प्रमाण-पत्र जिसमें भवन उपयोग हेतु सुदृढ़ता अंकित हो, उपलब्ध कराना आवश्यक है।
8. अग्निशमन विभाग के द्वारा भवन की सुरक्षा से संबंधित निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है।
9. संबंधित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से भवन (02)दो किलोमीटर के परिधि में होना आवश्यक है।
10. भवन का किराया संबंधित क्षेत्र के अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दृष्ट के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।


निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार पटना।

आवेदन-पत्र का प्रपत्र

व्यक्ति/संस्था का नाम:—

पिता/पति का नाम:—

पूरा पता:—

ग्राम:—

थाना:—

अंचल:—

जिला:—

खाता संख्या:—

खेसरा संख्या:—

कुल रकबा:—

किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले भवन का कुल क्षेत्रफल (Sqft.):—

भवन पर किसी प्रकार का विवाद/बंधक:— हाँ/नहीं

कमरों की संख्या:—

प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल (Sqft.):—

शौचालय की संख्या:—

पेयजल की उपलब्धता:— हाँ/नहीं

बिजली की उपलब्धता:— हाँ/नहीं

कनेक्टेड विद्युत भार:—

विद्युत कंज्यूमर संख्या:—

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से भवन की दूरी:—

भवन के छत का प्रकार (कंक्रीट):— हाँ/नहीं

भवन के फर्श का प्रकार (मार्बल/टाईल्स):—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त भवन मेरे स्वामित्व/अधिकार में है तथा उक्त भवन को मैं किराये पर छात्रावास प्रयोग हेतु देना चाहता हूँ। जिसके लिए मैं वैधानिक प्रक्रिया एवं दस्तावेजी कार्यवाई के लिये अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

स्थान:.....

दिनांक:.....

मो० नं०:.....

आवेदक का हस्ताक्षर